लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./सं.प्रको./छात्रवृत्ति/2008-09/ 17 — भोपाल, दिनांक 20/2/09.

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः—संस्कृत शिक्षा विकास की केन्द्रीय योजनान्तर्गत कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, एवं 12वीं में संस्कृत विषय लेकर अध्ययन करने वाले नियमित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण (वर्ष 2007-08 में शेष बची राशि का वितरण)

संदर्भः—संचालनालय का आदेश क्रं./सं.प्र./केन्द्रीय अनुदान/2007-08/19, दिनांक 19.02.08.

-----00000000-----

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपके जिले में संस्कृत शिक्षा विकास की केन्द्रीय योजनान्तर्गत कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, एवं 12वीं में संस्कृत विषय लेकर अध्ययन करने वाले नियमित विद्यार्थियों को 05 माह 27 दिन की छात्रवृत्ति वितरण करने हेतु बंटन दिया गया था । कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अवगत कराया है कि कुछ कक्षाओं में पात्रताधारी छात्र-छात्रायें न मिलने के कारण छात्रवृत्ति वितरित नहीं हुई जिसके कारण राशि जिले में शेष है ।

वर्ष 2007-08 में जिन पात्र छात्र-छात्राओं को 05 माह 27 दिन हेतु छात्रवृत्ति वितरित की गई है उन्हीं छात्र-छात्राओं को आपके जिले में शेष उपलब्ध राशि में से 04 माह 27 दिन का वितरण समान अनुपात में किया जाये । यह भी ध्यान रखा जाये कि महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा जिन छात्रों को शेष 04 माह 03 दिन की राशि प्रदान कर दी गई है उन छात्रों को राशि का भुगतान नहीं किया जाये । वितरण के पश्चात् भी यदि राशि शेष रहती है तो उसकी जानकारी तत्काल संचालनालय को दी जाये, किन्तु यदि राशि कम पड़ती है तो जितने दिन की राशि दी जा सके उतने दिन की राशि समानुपातिक ढ़ंग से वितरित की जाये ।

कक्षा 11वीं एवं 12वीं के पात्रताधारी छात्र-छात्राऐं उपलब्ध न होने पर कक्षा 9वीं एवं 10वीं के पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया जाये ।

राशि वितरण करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 30 मार्च, 2009 तक अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(बी0आर0पाण्डे)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठां.क्रं./सं.प्रको./छात्रवृत्ति/2008-09/18 — भोपाल, दिनांक 20/2/09

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2— समस्त कलेक्टर, म.प्र. ।
3— समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. ।
4— निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, तुलसी नगर, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक–विद्या/एच/4/2009/ 111 भोपाल, दिनांक 24-2-2009

प्रति,

समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश.

विषय– नियमित अध्ययन हेतु प्रावधानित छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/प्रोत्साहन योजनाओं का बजट आवंटन।

संदर्भ– संचालनालय का पत्र क्रमांक–विद्या/एच/4/2009/2072 भोपाल, दिनांक– 01/10/2008.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, तदनुसार शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति मद में (1. **सुदामा शिष्यदृत्ति योजना 2. स्वामी विवेकानन्द पोस्ट मेट्रिक प्राविण्य छात्रवृत्ति योजना (सुदामा पोस्ट मेट्रिक) 3. सुदामा प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना 4. डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम मेघावी छात्र पुरस्कार योजना)** निम्नानुसार राशि संभागवार प्रदान की गई थी।

स.क्र.	जिला	001 शिष्यवृत्ति	002 छात्रवृत्ति
1	ग्वालियर	**1460428**	**1194895**
2	सागर	**1377193**	**1126794**
3	रीवा	**1741178**	**1424601**
4	उज्जैन	**1062953**	**869688.9**
5	इन्दौर	**1525985**	**1248534**
6	भोपाल	**1405797**	**1150197**
7	जबलपुर	**2426466**	**1985290**
	योग	**11000000**	**9000000**

अनेक संभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि छात्रवृत्ति मद में दी गई राशि कम है जबकि शिष्यवृत्ति में राशि शेष है। अतः छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति जिस मद में राशि की आवश्यकता हो उसे छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति किसी भी मद से पूर्ति की जा सकती है, इसक पश्चात भी यदि राशि की आवश्यकता हो तो तत्काल मांग पत्र भेजें। सभी हितग्राही छात्र–छात्रा को उक्त चारों छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति वितरण के पश्चात भी यदि कोई राशि शेष बचती है तो उसे तत्काल कोषालय सर्वर पर समर्पण कर कोषालय से आई0डी0 क्रमांक प्राप्त कर राशि एवं आई0डी0 क्रमांक 28 फरवरी, 2009 तक सहायक संचालक विद्या तथा लेखाधिकारी, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश को पृथक–पृथक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(बी0आर0 नायडू)
आयुक्त, लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश